02/2025

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग2-

संख्या-79/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी0सी0-275-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(337)-2025

लखनऊ: दिनांक: 13-02-2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-837/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(07)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,

(क) अनुसूची में, क्रम संख्या 105 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

"105क	30	जीन थेरेपी

(ख) स्पष्टीकरण में खण्ड (ii) और इसके साथ दिये गये परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

"(ii) 'प्री पैकेज्ड और लेबल किए गए' पद का तात्पर्य उन सभी वस्तुओं से है जो खुदरा विक्रय के लिए आशयित हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009, (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) की धारा 2 के खंड (ठ) में परिभाषा के अनुरुप पूर्व पैक हैं जहां, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009, (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) तथा तद्वीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन घोषित करने के लिए आवश्यक माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।"

2- यह अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

Signed by
M Devaraj
(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव।
Date: 13-02-2025 12:19:18